



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolk@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०४/६८/२०१९/एफ०सी०/१५५

दिनांक : 14.08.2019

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
६वाँ तल, बापू भवन,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/18048/2016)

विषय: जनपद-सोनमर में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० (रेनुसागर पावर डिवीजन) रेनुसागर को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हे० आरक्षित वनभूमि को 25 वर्षों (दिनांक 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिए लीज के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-1646/81-2-2019-145(233)/64, लखनऊ, दिनांक-16.07.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

उक्त प्रकरण को दिनांक 08.08.2019 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक 08.08.2019 की कार्यवाही (REC Agenda Item 40.7-U.P.) में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. The proposal is not showing online on the Portal of Regional Office.
2. The SOI toposheet of diverted land and CA land has not been submitted in standard scale 1:50,000. It is in merger format.
3. The Geo-referenced maps of proposed CA land have not been submitted.
4. Scheme of raising Dwarf variety of plants under Transmission line is not submitted.
5. Penal NPV along with the interest payable as per recent guidelines of the Ministry dated 29-10-2018 has not been proposed by the State Government.
6. The compliance of above mentioned shortcomings should be ensured/submitted by the State Government along with proper recommendation.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
3. जिलाधिकारी, सोनमर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
5. श्री उत्कर्ष रघुवंशी, असिस्टेंट वाईस प्रेसीडेंट, कारपोरेट लखनऊ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रभावली।

(के० के० तिवारी)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}